समाहरणालय, भागलपुर

(मद्यनिषेध एवं उत्पाद प्रशाखा)

प्रेस–विज्ञप्ति

(वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए नीरा अनुज्ञप्ति नवीकरण एवं नई नीरा अनुज्ञप्ति हेतु सूचना)

एतद् द्वारा सभी पूर्व के नीरा अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए अपना नीरा अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2020 के पूर्व तक नवीकृत कराना सुनिश्चित कर लें।

साथ ही बिहार नीरा (ताड़ का खमीर मुक्त रस) नियमावली, 2017 के तहत अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधी विभागीय पत्रांक–1028 दिनांक 12.04.2017 के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए नये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक (छेदक), अपना आवेदन विहित प्रपत्र–1 में निम्नांकित कागजातों के साथ किसी भी कार्यदिवस को अधीक्षक मद्यनिषेध, भागलपुर के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैः–

1. आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र–1) तथा इसके दाहिनें स्थान पर हाल का पासपोर्ट साईज का एक फोटोग्राफ।
2. पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/बैंक एकाउन्ट/ड्राईविंग लाईसेंस आदि) की छायाप्रति।
3. वृक्ष मालिक एवं छेदक के बीच एकरारनामा/सहमति पत्र।
4. छेदक (टैपर) होने का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र।

इच्छूक आवेदक/छेदक, आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र–1) तथा अन्य कागजात किसी भी कार्यदिवस को अधीक्षक मद्यनिषेध, भागलपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर जांचोपरान्त संबंधित आवेदनकर्त्ता (छेदक) के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। साथ ही विस्तृत एवं विशेष जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, भागलपुर के कार्यालय से सर्म्पक स्थापित कर सकते है।

जिला दण्डाधिकारी,
–सह–
समाहर्त्ता, भागलपुर।
13/3/20